<u>दिनांक–09.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुयी।

अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र 15 क अंतर्गत धारा–311 दं.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 का साक्ष्य संपन्न हो चुका है। तीनों साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्य में कहा गया है कि हमारे शोर मचाने पर पिता गुलवीर कमरे में से बाहर निकल कर आये और इन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान अशोक और गीता के पीछे खड़े राजेश, मुकेश और हरिओम ने गुलवीर पर फायरिंग कर दी। इस प्रकार उक्त गुलवीर प्रकरण का पीडित तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसका साक्ष्य कराया जाना पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है। उक्त कथन परिवाद में भी स्वीकार किया गया है। अतः साक्षी गुलवीर को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अभियोजन की ओर से पी०डब्लू० 1 श्रीमती सोन देवी (वादिया), पी०डब्लू० 2 बलराम व पी०डब्लू० 3 कोमल कुमार को परीक्षित कराया जा चुका है तथा पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत चल रही है। अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र के माध्यम से साक्षी गुलवीर की गवाही किये जाने की याचना की गयी है, जो कि प्रश्नगत प्रकरण में पीड़ित एवं चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो उक्त साक्षी की साक्ष्य अंकित करने से पत्रावली पर समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके है।

ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, साक्षी गुलवीर का साक्ष्य अंकित कराये जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 15 क स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित साक्षी गुलवीर जरिये सम्मन साक्ष्य अंकित कराने हेतु तलब हो।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक– 10.03.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–06, मथुरा।

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.03.10 10:04:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court